

बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना

बिहार के अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं (मुस्लिम, सिख, इसाई, बौद्ध एवं पारसी) को सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को प्रोत्साहित करने हेतु मुख्य मंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत जो छात्र एवं छात्राएँ वर्ष 2007 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा संचालित प्रवेशिका परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं को रू0 10,000/- (दस हजार रूपये) मात्र एक मुस्त आगे की पढ़ाई जारी रखने हेतु प्रोत्साहन के रूप में दिये जाने का प्रावधान किया गया है। अतः अहर्ता प्राप्त अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को नीचे दिये गये विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र भरकर दिनांक 15.06.2008 तक उप सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बैरक संख्या-6, मुख्य सचिवालय, पटना-800015 को निश्चित रूप से उपलब्ध करावें।

मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत आवेदन पत्र का प्रपत्र

1. नाम:-
2. पिता का नाम:-
- 3.(क) स्थायी पता:-
(ख) अस्थायी/वर्तमान पता:-
4. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण होने का वर्ष:-
5. प्रवेशिका परीक्षा में प्राप्त अंक एवं श्रेणी:-
(अभिप्रमाणित अंक पत्र संलग्न करें)
6. विद्यालय अथवा संस्थान का नाम एवं पता:-
(जहाँ वर्तमान में पढ़ रहे हों)
7. विद्यार्थी के बैंक का नाम, पता एवं उसका खाता नम्बर:-
8. क्या बिहार के निवासी हैं (आवासीय प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें) :-

आवेदक
का फोटो

आवेदक का पूरा हस्ताक्षर

विद्यालय/ संस्थान जहाँ वर्तमान में अध्ययनरत है उसका प्रमाण

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त छात्र/छात्रा जिनका नाम है मेरे संस्थान में वर्तमान में अध्ययनरत है।

संस्थान का मुहर

प्राचार्य का हस्ताक्षर
प्राचार्य का पूरा नाम:-
तिथि:-